



छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 24,1943)

की अनुपूरक कार्यसूची

दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 की दैनिक कार्यसूची के पद क्रम 6. शासकीय विधि विषयक कार्य के उप पद (5) के पश्चात् उप पद (6) से (9) तथा नवीन पद 7 को निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ा जाये:-

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

30 मिनट (6) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन)(छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (7) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी एस टी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (8) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (9) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि – विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

रायपुर,
दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.